चिकित्सा अधिकारी के 443 रिक्त पदों की नियमित भर्ती करने हेतु अभ्यार्थियों से प्राप्त दावा–आपत्ति का निराकरण

क्र.	जारी स.क्र.	रजि. क्र.	अभ्यार्थी का नाम	पिता / पति का नाम	संवर्ग	दावा–आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	तथ्यात्मक विवरण	दावा–आपत्ति पर समिति का निर्णय / अनुशंसा
1	54	1057	डॉ. सस्कृति तिवारी	श्री लक्ष्मण प्रसाद तिवारी	अना.	आवेदिका द्वारा जानकारी के अभाव मे दस्तावेज सत्यापन एव साक्षात्कार मे उपस्थित नही हो पाने का लेख करते हुए पुन अवसर प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।	साक्षात्कार हेतु राष्ट्रीय एव प्रादेशिक समाचार पत्र तथा विभागीय वेबसाईट पर विस्तृत सूचना जारी किया गया था।	अमान्य
2	–	–	डॉ. पूजा सिग	श्री प्रसन्ना सिग	–	श्री प्रसन्ना सिग द्वारा अपनी पत्नी डॉ. पूजा सिग के द्वारा चिकित्सा विशेषज्ञ के पद पर विज्ञापन किये जाने का लेख करते हुए तथा जानकारी नहीं होने के कारण पी.एस.सी. द्वारा लिये गये साक्षात्कार मे सम्मिलित नही हो पाने से अवगत कराते हुए उक्त साक्षात्कार हेतु अतिरिक्त समय चाहा गया हैं।	चिकित्सा अधिकारियों के 443 रिक्त पदों के नियमित भर्ती से सबधित दावा-आपत्ति नही है।	अमान्य
3	292	1344	डॉ. पुष्पेन्द्र कुमार साहू	श्री कली राम साहू	अपिव	आवेदक द्वारा आय प्रमाण पत्र सलग्न कर अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी मे सम्मिलित करने का निवेदन किया गया हैं। आवेदक का आय प्रमाण पत्र दिनाक 18.06.2020 का है।	दावा- आपत्ति के दौरान आवेदक द्वारा विज्ञापन दिनाक 12.10.2021 के पूर्व का आय प्रमाण पत्र सलगन किया गा हे।	मान्य
4	519	1588	डॉ. प्रवीण कुमार भगत	श्री जयपाल राम भगत	अजजा	आवेदक द्वारा दिनाक 12.10.2021 के पश्चात् दिनाक 27.10.2021 को ईटर्नशीप पूर्ण किये जाने के कारण अपात्र किये जाने के विरूद्ध दावा–आपत्ति किया गया है। आवेदक द्वारा वर्तमान मे शैक्षणिक योग्यता चिकित्सा अधिकारी के पद पर पूर्ण करने के कारण पात्र किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।	विज्ञापन दिनांक 20.09.2021 की कडिका 2 का उपकंडिका 2.3 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन करने की अतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई शैक्षणिक अर्हताओ के प्रमाण पत्र मान्य नही होगे। अभ्यर्थी के द्वारा इटर्नशिप दिनाक 12.10.2021 के पश्चात दिनाक 30.11.2021 को पूर्ण किया गया है।	अमान्य
5	450	1513	डॉ. शिखर पाटनवार	श्री विद्यासागन पाटनवार	अपिव	आवेदक द्वारा साक्षात्कार के जाती प्रमाण पत्र एव आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने का लेख करते हुए अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी मे सम्मिलित किये जाने का लेख किया गया हें।	दस्तावेज सत्यापन दिनांक को समक्ष अधिकारी द्वारा आय प्रमाण पत्र सलग्न नही होने के कारण तथा दावा–आपत्ति आवेदन मे भी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र सलग्न नही है।	अमान्य
6	2	1003	डॉ. प्रखर पाटनवार	श्री विद्यासागन पाटनवार	अपिव	आवेदक द्वारा साक्षात्कार के जाती प्रमाण पत्र एव आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने का लेख करते हुए अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी मे सम्मिलित किये जाने का लेख किया गया हें।	दस्तावेज सत्यापन दिनांक को समक्ष अधिकारी द्वारा आय प्रमाण पत्र सलग्न नही होने के कारण तथा दावा–आपत्ति आवेदन मे भी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र संलग्न नही है।	अमान्य

क्र.	जारी स.क्र.	रजि. क्र.	अभ्यार्थी का नाम	पिता / पति का नाम	संवर्ग	दावा–आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	तथ्यात्मक विवरण	दावा–आपत्ति पर समिति का निर्णय / अनुशंसा
7	338	1393	डॉ. प्रीति सोनी	श्री नरेन्द्र प्रसाद सोनी	अपिव	आवेदक द्वारा साक्षात्कार के समय आय प्रमाण पत्र सलग्न नही किये जाने का लेख करते हुए आय प्रमाण पत्र सलग्न कर अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में सम्मिलित करने का निवेदन किया गया हैं। आवेदक का आय प्रमाण पत्र दिनाक 30.05.2022 का है।	दस्तावेज सत्यापन के समय आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया। दावा–आपत्ति आवेदन मे आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। दावा–आपत्ति आवेदन मे सलग्न आय प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन दिनाक के बाद का जारी किया हुआ सलग्न किया गया है।	अमान्य
8	1352	2475	डॉ. पूजा मिश्रा	श्री जे.पी. मिश्रा	अना.	आवेदिका द्वारा अवगत कराया गया है कि उन्हे दिनाक 08.06.2022 को समय 11.00 बजे दस्तावेज सत्यापन की सूचना प्राप्त होने के कारण एव पारिवारिक कारणों के कारण दस्तावेज सत्सापन एव साक्षात्कार मे उपस्थित नही हो पाया एव मूल निवास प्रमाण पत्र गुम हो चुका है। अतः साक्षात्कार हेतु पुन अवसर प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।	साक्षात्कार हेतु राष्ट्रीय एव प्रादेशिक समाचार पत्र तथा विभागीय वेबसाईट पर विस्तृत सूचना जारी किया गया था।	अमान्य
9	1216	2329	डॉ. मोहम्मद शकिर खान	श्री अब्दुल जहीर खान	अना.	आवेदक द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र सलग्न किया गया है।	दावा–आपत्ति का आवेदन स्पष्ट नही है कि किस विषय पर दावा–आपत्ति किया गया है।	अमान्य
10	726	1813	डॉ. देवेन्द्र श्रीवास्तव	श्री कमल किशोर श्रीवास्तव	अना.	आवेदक द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनाक 01.06.2022 को दस्तावेज सत्यापन हुआ, जिसमे अनुभव प्रमाण पत्र एव मूल निवास प्रमाण पत्र गुम हो जाने के कारण प्रस्तुत नहीं कर पाया था, जिसके कारण उन्हे अपात्र कर दिया गया है। आवेदक लगातार 02 वर्ष तक कोविड महामारी के दौरान ड्यूटी किया, 02 बार संक्रमित भी हुआ तथा इसी अवधि मे उनके अभिभावक की मृत्यु हो जाने का लेख करते हुए अनुभव का लाभ देते हुए आयु सीमा में छुट दिये जाने हेतु निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थी को छत्तीसगढ राज्य का स्थानीय निवासी होने के कारण अधिकतम 35 वर्ष की आयु सीमा मे 05 वर्ष अतिरिक्त आयु सीमा छूट देने उपरांत भी आवेदक की आयु निर्धारित आयु सीमा से अधिक होने के कारण आवेदक को अपात्र किया गया है।	अमान्य
11	584	1656	डॉ. शिल्पी वर्मा	श्री बिहारी लाल वर्मा	अपिव	आवेदिका द्वारा आय प्रमाण पत्र सलग्न कर अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी मे सम्मिलित करने का निवेदन किया गया हैं। आवेदिका का आय प्रमाण पत्र दिनाक 12.10.2021 का है।	दस्तावेज सत्यापन के समय आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया। दावा–आपत्ति आवेदन मे आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदिका द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे आवेदिका की गैर क्रीमिलेयर मे होने की पुष्टि होती हो।	अमान्य
12	1083	2185	डॉ. अजय नायक	श्री शशिभूषण नायक	अपिव	आवेदक द्वारा आय प्रमाण पत्र सलग्न कर किया गया हैं। आवेदक का आय प्रमाण पत्र दिनाक 07.07.2022 का है।	दस्तावेज सत्यापन दिनाक को सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया था। दावा–आपत्ति आवेदन मे सलग्न आय प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन दिनाक के बाद का जारी किया हुआ सलग्न किया गया है।	अमान्य

क्र.	जारी स.क्र.	रजि. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	संवर्ग	दावा–आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	तथ्यात्मक विवरण	दावा–आपत्ति पर समिति का निर्णय/अनुशंसा
13	961	2060	डॉ स्मृति देवांगन	श्री राजेन्द्र प्रसाद देवांगन	अपिव	आवेदिका द्वारा अवगत कराया गया है कि वह अपिव सवर्ग हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था परन्तु उन्हे अपिव सवर्ग से हटाकर अनारक्षित संवर्ग में रखा गया है। उनके पिताजी श्री राजेन्द्र प्रसाद देवागन तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी है एव पेशे से शिक्षक है उनकी वार्षिक आय 9,48,160 है एवं अन्य स्त्रोंतो से उनकी कोई आय नहीं है। भारत सरकार कार्मिक मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनाक 13.09.2017 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यदि माता–पिता तृतीय श्रेणी में शिक्षक के पद पर पदस्थ है और उनकी वार्षिक वेतन 12 लाख हो तो भी उन्हे आरक्षण का लाभ मिलेगा। ओबीसी क्रीमीलेयर की परिधी की सपूर्ण जाच उपरान्त सक्षम न्यायालय एवं सक्षम राजस्व अधिकारी नारायणपुर ने राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात नॉन क्रीमीलेयर मानते हुए जाति प्रमाण पत्र प्रदत्तर किया गया जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एव प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र संख्या 36012/22/93/स्था (एस.सी.टी.) दिनाक 08.09.1993 यथा सशोधित परिपत्र सख्या 36012/3/2004–स्था (आरक्षण) दिनाक 14.01.2008 तथा सामान्य विभाग के परिपत्र क्रमाक एफ – 9–3/2001/1–3 दिनाक 24.06.2009 के कॉलम 3 में किया गया है। स्थायी जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अपिव श्रेणी में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।	आवेदिका द्वारा अपने अभ्यावेदन मे विभिन्न शासन नियम एव निर्देश की प्रति सलग्न कर अन्य पिछडा वर्ग (नॉन क्रीमिलेयर) मे लाभ देने का लेख किया है किंतु आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे आवेदिका के गैर क्रीमिलेयर वर्ग के होने की पुष्टि हो सके।	अमान्य
14	397	1458	डॉ श्वेता यादव	श्री लाला राम यादव	अपिव	आवेदक द्वारा अपिव प्रमाण पत्र सलग्न कर अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी मे सम्मिलित करने का निवेदन किया गया है। आवेदक का अपिव का प्रमाण पत्र दिनाक 21.05.2020 का है।	दावा–आपत्ति आवेदन मे आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र मे सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र मे नॉन क्रीमिलेयर होने के पुष्टि की गई है	मान्य
15	1020	2121	डॉ. रूद्र नारायण गजेन्द्र	श्री कृपाराम गजेन्द्र	अपिव	आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी में सम्मिलित करने का निवेदन किया गया है।	दावा–आपत्ति आवेदन मे आवेदक के द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र मे उनके अभिभावक के सेवा अभिलेख से आवेदक के नॉन क्रीमिलेयर होने की पुष्टि होती है।	मान्य

(डॉ. सुभाष मिश्रा)
संचालक, महामारी नियंत्रण सह अध्यक्ष
चयन समिति
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़

(श्री बी.आर. कवडे)
वित्त नियंत्रक सह सदस्य
चयन समिति
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़

(सुश्री भारती चन्द्राकर)
संयुक्त संचालक, स्थापना सह सदस्य
चयन समिति
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़

(श्री राजेन्द्र सिंह गौर)
अवर सचिव, सह सदस्य
चयन समिति
छ.ग.शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(डॉ. तरूण कुमार टोण्डर)
प्रभारी उप संचालक सह सदस्य
चयन समिति
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़

(डॉ. के.सी. उरांव)
प्रभारी उप संचालक सह सदस्य सचिव
चयन समिति
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़